उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-63/2015/1756/2015/26-3-2015-4(27)/2015

लखनऊःदिनांकः 05 जून,2015

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती नफीसा खातून पत्नी श्री अब्दुल मतीन निवासिनी-ग्राम बरगदवा टप्पाकोट, तहसील इटवा जिला-सिद्वार्थनगर के जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र आवेदन पर तहसीलदार, इटवा, जिला सिद्वार्थनगर द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने के बाद पिछड़ा वर्ग की गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्याः 54410303700 दिनांक 25.09.2010 निर्गत किया गया। श्रीमती नफीसा खातून के जाति प्रमाण पत्र के विरूद्व ग्राम बरगदवा टप्पाकोट के ही श्री रामराज पुत्र राम सुमरन द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील इटवा जिला-सिद्वार्थनगर को शिकायती पत्र प्रेषित करते हुये सामान्य वर्ग का मुसलमान बताते हुये जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

2- श्री रामराज द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जांच प्रचलित हुयी। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी सिद्धार्थनगर द्वारा जांचोपरान्त निर्णय दिनांक 11.09.2012 व दिनांक 09.04.2013 के अनुसार श्रीमती नफीसा खातून पत्नी श्री अब्दुल मतीन निवासिनी-ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा जिला, सिद्वार्थनगर को अपने पिता के परिवार से सामान्य श्रेणी का मुसलमान पाया तथा श्रीमती नफीसा खातून के पक्ष में निर्गत अन्य पिछड़े वर्ग 'गद्दी' जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थिनी श्रीमती नफीसा खातून द्वारा आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम, बस्ती ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2013 द्वारा प्रकरण निस्तारित करते हुये अपीलार्थिनी श्रीमती नफीसा खातून को 'गद्दी' अन्य पिछड़े वर्ग का न पाते हुये सामान्य वर्ग का मुसलमान पाया गया।

3- मण्डलीय अपीलीय फोरम बस्ती मण्डल, बस्ती के निर्णय दिनांक-08.05.2013 के विरूद्ध श्रीमती नफीसा खातून द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-17.07.2013 प्रस्तुत की गई। कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-22/16/92-क-2/196 टी.सी.-।।।, दिनांक-05.01.1996 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में गठित सतर्कता प्रकोष्ठ से प्रकरण की जांच करायी गयी। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-29.08.2014 द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक-20.03.2014 शासन को उपलब्ध करायी गयी। प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-14.05.2015 को आहूत करते हुये श्रीमती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नफीसा खातून को बैठक की सूचना दी गयी थी। श्रीमती नफीसा खातून सुनवाई की उक्त तिथि को उपस्थित नही हुयी। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा बैठक में सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या एवं अपीलार्थी की अपील में उल्लिखित तथ्यों का परिशीलन किया गया।

4- सतर्कता प्रकोष्ठ ने अपनी जांच आख्या में नायब तहसीलदार, इटवा, सिद्धार्थनगर की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2011/10.06.2011 एवं तहसीलदार, इटवा की रिपोर्ट दिनांक-28.04.2011 तथा श्रीमती नफीसा खातून व विपक्षी श्री रामराज यादव के बयान एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेख के साक्ष्य तथा ग्रामीणों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर यह आख्या दी गयी कि नायब तहसीलदार, इटवा की आख्या दिनांक-05.03.2011 जो उपजिलाधिकारी इटवा, सिद्धार्थनगर को सम्बोधित रूप में प्रेषित है, में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 1140/2009, दिनांक-22.12.2009 जो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2010 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लेने विषयक है, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग में रहेगी। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने से उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है, उस आरक्षित वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी। नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बदगदवा का मायका ग्राम फरेंदा टप्पा करही तहसील इटवा, सिद्वार्थनगर में है। खानदानी सेजरा इस प्रकार हैः-

ऐनुल्लाह				
हदीसुल्लाह			**जमील्लाह**	
अब्दुल खलीक	**मकबूल**	**चार पुत्रिया नफीसा खातून की बरगदवा में शादी हुयी**	**समीउल्लाह**	**मुहम्मद मुस्तफा**

ग्राम फरेंदा में उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही निवासी हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह की पुत्री नफीसा खातून का विवाह अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट के साथ हुआ है। जाँच पड़ताल एवं पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही में 'गद्दी' जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। ग्राम फरेंदा में सात परिवार 'फकीर' जाति के हैं तथा शेष सभी 'सवर्ण मुसलमान' हैं। इस प्रकार अपने जन्म स्थान फरेंदा के अनुसार नफीसा खातून पुत्री हदीसुल्लाह (पत्नी अब्दुल मतीन, निवासी ग्राम बरगदवा) गद्दी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) की व्यक्ति नहीं है। नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम-बरगदवा के ससुराल पक्ष से विवेचना से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नफीसा खातून के नाम क्रमांक 5441033700, दिनांक 25.09.2010 को अन्य पिछड़ा वर्ग 'गद्दी जाति' का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। नकल खतौनी 1323-1324 फ0 ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर टप्पा-करही परगना रसूलपुर तहसील-डुमरियागंज जिला-बस्ती के खाता संख्या 17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। खानदानी सेजरा इस प्रकार है-

मदारन													
रूस्तम मो0 खलील	आलम										रहमत		
	मो0 इद्रीस			मो0 इसहाक			दोस्त मोहम्मद				यार मोहम्मद		
	जमील अहमद	मुख्तार अहमद	निसार अहमद	अनवरलहक	फत्ते मो0	मो आजम	मो0 अजीज	कल्लन	मो0 नईम	मो0 नियाज	अब्दूल मतीन	गुडडू मृतक	अब्दूल कादिर

नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के खाता सं0-25 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद व मेहरूनिशा बेवा यार मोहम्मद निवासी,ग्राम बरगदवा टप्पाकोट का नाम अंकित है। ग्राम, बरगदवा टप्पाकोट तहसील, इटवा की खतौनी 1412-1417 फ0 के गाटा सं0 341,343,345,536,537, 539,557,574,576,583 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद व मेहरूनिशा पत्नी यार मोहम्मद निवासी ग्राम, बरगदवा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा के पति अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों के अनुसार यार मोहम्मद है तथा यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारन है। रहमत पुत्र मदारन मूल रूप से रमवापुर उर्फ विशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पा कोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यारमोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यारमोहम्मद निवासी ग्राम बदगदवा अंकित है तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचक नामावली तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यारमोहम्मद अंकित है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा न्याय पंचायत, भिलौरी क्षेत्र पंचायत-सुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चैधरी तथा इनके भाई अब्दुल कादिर के पिता का नाम चैधरी अंकित कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिया गया। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1995 में क्रमांक 664 पर यार मोहम्मद पुत्र रहमत तथा क्रमांक 665पर मेहरूनिशा पत्नी यारमोहम्मद का नाम अंकित है, परन्तु क्रमांक 666 पर अब्दुल मतीन के पिता का नाम चैधरी अंकित कर दिया गया है। ब्लाक-सुनिया के ग्राम पंचायत बरगदवा के बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के क्रमांक 16619 पर अब्दुल मतीन के नाम के सम्मुख कुल अंक (Total Score) शून्य अंकित है तथा क्रमांक 16620 पर अब्दुल कादि के नाम के सम्मुख कुल अंक (Total Score) 36 अंकित है। अब्दुल मतीन तथा अब्दुल कादिर दोनों सगे भाई हैं तथा पिता का नाम यारमोहम्मद है, अतः अब्दुल मतीन के नाम के सम्मुख फर्जी प्रविष्टियां की गयी हैं तथा बी0पी0एल0 सर्वे के जाति के कालम में एस0सी0 (अनुसूचित जाति) अंकित किया गया है। अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा सामान्य जाति के मुसलमान हैं। अतः बी0पी0एल0 सर्वे 2002 ग्राम पंचायत बरगदवा के क्रमांक 16619 के सम्मुख एस0सी0 (अनुसूचित जाति) अंकित किया जाना प्रथमदृष्टया जालसाजी तथा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब्दुल मतीन द्वारा अपने पिता का नाम चैधरी बताया है तथा क्रमांक-742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चैधरी निवासी ग्राम, बरगदवा टप्पाकोट के नाम गद्दी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि अब्दुल मतीन के पिता का वास्तविक नाम यार मोहम्मद है, परन्तु तथ्यों को छुपाकर जालसाजी एवं धोखाधड़ी करके पिता का नाम चैधरी लिखा गया है तथा बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में अनुसूचित जाति का होना बताया गया है तथा परिवार रजिस्टर में जाति का कालम नहीं होने के बावजूद भी अन्य पिछड़ा वर्ग की 'गद्दी' जाति अंकित किया गया है। ग्राम बरगदवा के उपस्थित ग्रामवासी गिरीश चतुर्वेदी व रामशब्द त्रिपाठी, रामराज व चैतू चैहान, संजय, अनिल कुमार, देवदत्त, सुखराम व बाबूराम आदि ने बताया कि यार मोहम्मद के दो लड़के हैं अब्दुल मोतीन व अब्दुल कादिर। अब्दुल मोतीन पुत्र स्व0 यार मोहम्मद तथा इनका पूरा खानदान गद्दी जाति के व्यक्ति नहीं हैं, के सम्बन्ध में खानदान के मुख्तयार अहमद व नसीर अहमद द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न होने के कारण नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा, जो हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेंदा की पुत्री हैं अनारक्षित वर्ग सामान्य जाति की महिला हैं। इनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 25.09.2010 क्रमांक-5441033700 गद्दी जाति (पिछड़ी जाति) का प्रमाण पत्र बनवाया गया है। इसी प्रकार अब्दुल मोतीन निवासी ग्राम बरगदवा द्वारा अपने पिता का नाम बदलकर अभिलेखीय साक्ष्यों को छुपाकर बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में अनुसूचित जाति तथा परिवार रजिस्टर में ''गद्दी जाति'' (पिछड़ी जाति) अंकित करवा कर गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत करवाया गया है। दोनों ही मामलों में जालसाजी एवं धोखाधड़ी का प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नायब तहसीलदार, इटवा सिद्धार्थनगर की आख्या दिनांक 10.06.2011 जो उपजिलाधिकारी इटवा, सिद्वार्थनगर को उनके पत्रांक 3201/आशु0/दिनांक 30.05.2011 दिनांक 07.06.2011 के सन्दर्भ में दी गयी में उल्लेख है कि वर्तमान जांच आख्या प्रार्थी श्री रामराज पुत्र सुमिरन निवासी ग्राम बरगदवा टप्पाकोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी इटवा को प्रस्तुत की गयी है। श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 यार मोहम्मद के खानदान के श्री जफरूल्लाह के नाम जो गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, उसके विरूद्व श्री राजेश चतुर्वेदी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2010 में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु प्रार्थी श्री रामराज पुत्र श्री राम सुमिरन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर इस तथ्य को सामने लाया गया है कि श्री अब्दुल मतीन ने राजस्व अभिलेख, विद्यालय/मदरसा के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्रों में अपने पिता का नाम चैधरी अंकित करवा दिया है। इस प्रकार अब्दुल मतीन के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र (गद्दी जाति) सत्य नहीं पाया गया। तहसीलदार इटवा, जिला सिद्वार्थ नगर की रिपोर्ट दिनांक 28.04.2011 में भी श्री अब्दुल मतीन की पत्नी श्रीमती नफीसा खातून, निवासी बरगदवा जिनकी भी जाति के सम्बन्ध में विवाद था, उनकी जाति गद्दी नहीं पायी गयी है। श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी बरगदवा टप्पाकोट के नाम क्रमांक 5441033700 दिनांक 25.09.2010 को अन्य पिछड़ा वर्ग 'गद्दी' जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के पत्र दिनांक-22.12.2009 जो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2010 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लेने विषयक है। इस शासनादेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग में रहेगी, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने से उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है। उस आरक्षित वर्ग का आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी।

श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा का मायका ग्राम, फरेन्दा टप्पाकरहीं तहसील, इटवा में है। नफीसा खातून के पिता का नाम हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा टप्पा करही है। नफीसा खातून के भाई अब्दुल खालिक व मकबूल पुत्रगण हदीसुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा हैं। ग्राम फरेन्दा में जांच में यह पाया गया कि ग्राम फरेन्दा में 'गद्दी' जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। इस प्रकार अपने जन्म स्थान फरेन्दा टप्पा करही के अनुसार नफीसा खातून पुत्री हदीसुल्लाह (पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा) गद्दी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) की व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपने उत्तर दिनांक 23.04.2011 के पैरा 4 में यह उल्लेख किया है कि मेरा मायका नेपाल में है, ग्राम पकड़ी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला तौलिहवा है, पिता का नाम फत्ते मोहम्मद है, परन्तु इन्होंने इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। फरेन्दा टप्पा करही तहसील इटवा के ग्रामवासियों ने बताया है कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही में 7 परिवार फकीर जाति के हैं, शेष सभी सवर्ण मुसलमान हैं। हदीसुल्लाह व जमीरूल्लाह पुत्रगण ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा का नाम जो0च0आ0 पत्र 45 के खाता संख्याः 32 पर अंकित है। हदीसुल्लाह के दो पुत्र अब्दुल खालिद व मकबूल में से मकबूल की मुत्यु हो चुकी है।

श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी-बरगदवा के ससुराल पक्ष ग्राम बरगदवा से पूछताछ एवं जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उनके ससुर का नाम यार मोहम्मद पुत्र रहमत था, रहमत के एक ही लड़का यार मोहम्मद था, नकल जो0च0आ0 पत्र 45 के खाता 25 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद एवं मेहरून्निशा बेवा, यारमोहम्मद निवासी बरगदवा, टप्पा कोट का नाम अंकित है। ग्राम बरगदवा टप्पा कोट के खतौनी सन् 1412 फसली से 1417 फसली के गाटा संख्याः 341, 343, 345, 536, 537, 539, 557, 574, 576, 583 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद व मेहरून्निशा पत्नी यार मोहम्मद नि0 ग्राम बरगदवा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम-बरगदवा के पति अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों के अनुसार यार मोहम्मद है, तथा यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारन है। नकल खतौनी 1323-1324 फ0 ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर टप्पा करही परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती के खाता संख्याः 17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। रहमत पुत्र मदारन पुत्र मूल रूप से रमवापुर उर्फ विशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पा कोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यार मोहम्मद अंकित है, तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा, न्याय पंचायत भिलोरी-भिलोरा क्षेत्र पंचायत-खुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चैधरी अंकित कर दिया गया। साथ ही परिवार रजिस्टर में ''गद्दी जाति'' का उल्लेख करवाकर, तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चैधरी निवासी ग्राम बरगदवा के नाम 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा द्वारा क्रमांक 5441033700 दिनांक 25.09.2010 को पिछड़ी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) ''गद्दी जाति'' का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाया गया है। अब्दुल मतीन पुत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यार मोहम्मद के खानदान के मुख्तार अहमद पुत्र मोहम्मद इंद्रीश निवासी ग्राम बरगदवा व नसीर अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इनका मूल पैतृक निवासी स्थान रमवापुर उर्फ विशुनपुर टप्पा करही है, तथा अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा इनके खानदान के हैं तथा ये लोग सवर्ण जाति के मुसलमान हैं। नयाब तहसीलदार, इटवा की विवेचना में स्पष्ट उल्लिखित है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न होने के कारण नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा, जो हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा की पुत्री हैं, अनारक्षित वर्ग सामान्य जाति की महिला है। इनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर जाति प्रमाण पत्र गलत शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 25.09.2010 क्रमांक 5441033700 'गद्दी जाति' पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया गया है। इस प्रकार मामला प्रथमदृष्टया इनके विरूद्ध जालसाजी एवं धोखाधड़ी का बनता हैं।

5- सतर्कता प्रकोष्ठ को विपक्षी श्री रामराज यादव द्वारा तहसीलदार, इटवा सिद्धार्थनगर का आदेश दिनांक 12.2.2013 एवं दिनांक 11.02.2013 की प्रति, तहसीलदार इटवा की आख्या दिनांक 29.04.2011, जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर के कार्यालय पत्रांक 671-672 दिनांक-06.02.2013 जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक दिनांक-11.09.2012 का कार्यवृत्त, मण्डल स्तरीय अपीलीय फोरम के निर्णय दिनांक-08.05.2013 श्री मुख्तयार अहमद के पुत्रों द्वारा राशन कार्ड हेत भरे गये फार्मों की छायाप्रतियां, अब्दुल मतीन, अब्दुल कादिर, मुख्तयार अहमद, दोस्त मोहम्मद के परिवार रजिस्टरों की नकल, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र स्कूल (अब्दुल मतीन), खतौनी फसली वर्ष 1412-1417 खाता संख्या 00025, जो0च0 आकार पत्र 45 अब्दुल मतीन, बिजली बिल मतीन, वोटर लिस्ट 1988, वोटर लिस्ट 1995 नकल खतौनी फसली वर्ष 1323-1324 रूस्तम, आकार पत्र 46 सन् 1967 फसली, राष्ट्रीय रजिस्टर जनगणना हिदायत, परिवार रजिस्टर अब्दुल खालिक, खतौनी 1414-1419 फसली ग्राम फरेंदा, नकल खतौनी 1323-1324 फसली फरेंदा, आकार पत्र 46 ग्राम फरेंदा की प्रति उपलब्ध करायी गयी। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा नायब तहसीलदार इटवा, सिद्धार्थनगर की रिपोर्ट दिनांक-05.03.2011/10.06.2011 तथा अब्दुल मतीन व विपक्षी श्री रामराज यादव के बयान एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का निम्नवत् साक्ष्य विशलेषण किया गयाः-

(1) नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा, जिला, सिद्वार्थ नगर को तत्कालीन तहसीलदार इटवा, जिला, सिद्वार्थनगर द्वारा राजस्व कर्मियों की आख्या दिनांक 16.04.2000 के आधार पर गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या 741, दिनांक 17.04.2000 निर्गत किया गया। प्रमाण पत्र में कहीं भी श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन के पिता का नाम, जाति अथवा पैतृक गांव अंकित नहीं किया गया है जबकि किसी भी महिला की जाति उसके पिता की जाति से निर्धारित होती है। इस प्रकार उक्त वर्णित गद्दी पिछड़ी जाति के निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः नफीसा खातून

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त द्वारा गद्दी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.09.2010 को प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर लेखपाल श्री अशोक कुमार (लेखपाल हल्का 23) द्वारा दिनांक 23.09.2010 को आख्या अंकित की गयी, जिसमें स्पष्ट अंकित किया कि ''नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासिनी बरगदवा टप्पाकोट परगना बासी पश्चिम तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर की मूल निवासिनी है तथा जाति की गद्दी हैं।'' लेखपाल की आख्या का समर्थन करते हुए राजस्व निरीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी द्वारा भी अपनी आख्या दिनांक 24.09.2010 को दी, इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार इटवा द्वारा बिना ध्यान दिये कि आवेदिका नफीसा खातून के पिता का नाम, जाति, पैतृक स्थान अंकित है अथवा नहीं, गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्याः 54410303700, दिनांक 25.09.2010 को नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी बरगदवा टप्पा कोट के पते पर निर्गत कर दिया, जो पूर्ण रूप से गलत है।

(2) आवेदिका नफीसा खातून ने अपने आवेदन पत्र के साथ तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री रामानुज राय की आख्या दिनांक 26.10.2010 प्रस्तुत किया है, जो श्री राजेश चतुर्वेदी पुत्र जोखन प्रसाद चतुर्वेदी निवासी बरगदवा टप्पा कोट के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2010 को दिये जाने पर श्रीमती नफीसा खातून के पति अब्दुल मतीन के विरूद्व जांच की गयी थी, जिसके गहन अवलोकन से पाया कि आख्या के प्रथम प्रस्तर में अंकित है कि रमावापुर उर्फ विशुनपुर के जमन 6 (1) की छायाप्रति में यार मोहम्मद व दोस्त मोहम्मद, पिसरान आलम कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। प्रस्तर द्वितीय में अंकित है कि अब्दुल मतीन के परिवार रजिस्टर की नकल दिनांक 26.08.2010 में अब्दुल मतीन के नाम के सामने मुसलमान (गद्दी) अंकित है जबकि गद्दी अंकित करने का कोई कालम नहीं है। उक्त प्रस्तर में वर्णित है कि अब्दुल मतीन के परिवार रजिस्टर में ही केवल मुसलमान गद्दी अंकित है जबकि अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल कादिर के परिवार रजिस्टर में 'इस्लाम मुसलमान' अंकित है। अब्दुल मतीन के पट्टीदार (खानदानी) मुख्तियार अहमद पुत्र इदरीस के परिवार रजिस्टर के कालम 7 में भी इस्लाम मुसलमान अंकित है। अब्दुल मतीन के ही पट्टीदार दोस्त मोहम्मद पुत्र आलम के परिवार रजिस्टर कालम नम्बर 7 में सामान्य अंकित है। अतः साक्ष्यों के आधार पर अब्दुल मतीन द्वारा अपनी वास्तविक सामान्य मुसलमान की जाति छिपाते हुए अपने प्रभाव का प्रयोग करके परिवार रजिस्टर में मुसलमान गद्दी अंकित कराया जाना पाया गया।

(3) सतर्कता प्रकोष्ठ ने साक्ष्य विश्लेषण में यह इंगित किया है कि नफीसा खातून के पक्ष में ग्राम फरेंदा, तहसील इटवा के कतिपय लोगों एवं पड़ोसियों द्वारा जो बयान दिया गया उन पर ग्राम-बरगदवा के अब्दुल मतीन एवं ग्राम फरेंदा के अब्दुल खालिक जोकि नफीसा खातून के सगे भाई हैं, का प्रभाव जांच के दौरान परिलक्षित हुआ है। क्योंकि फरेंदा मुसलिम बाहुल्य गांव है। करीब 02 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम बरगदवा, टप्पाकोट पड़ता है। इस कारण आपस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में कोई किसी से वैमनष्यता नहीं लेने के कारण कतिपय लोगो द्वारा श्रीमती नफीसा खातून के पक्ष में बयान दिया गया।

(4) आवेदिका नफीसा खातून ने अपने आवेदन पत्र के साथ श्री अजीमुर्ररहमान पुत्र स्व0 अयूब निवासी फरेंदा का नोटरी शपथ पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। जिसके साथ अपने पिता स्व0 मोहम्मद अयूब चैधरी पुत्र स्व0 हबीबुल्लाह चैधरी का छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जो वृहन्मुम्बई महानगरपालिका का निर्गत दिनांक 05.02.2007 है, जिसके अनुसार मोहम्मद अयूब की मृत्यु दिनांक 31.01.2007 होना अंकित है। यह प्रमाण पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री रामानुज राय द्वारा पे्रषित आख्या दिनांक 05.03.2011 में वर्णित सनाउल्लाह के बयान जिस पर मोहम्मद अयूब के हस्ताक्षर हैं, फर्जी साबित किया जा सके जबकि सनाउल्लाह के बयानों के गवाह चन्द्रशेखर तिवारी व तिलकराम चैहान ने अपने बयानों में अंकित कराया है कि नायब तहसीलदार द्वारा जब समीउल्लाह के बयान अंकित किये गये थे। उस समय मोहम्मद अयूब जीवित थे तथा जांच पर हस्ताक्षर हम लोगों के सामने किये थे, उस समय हम लोग मौजूद थे तथा बयानों पर हम लोगों के द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये थे बयान छायाप्रति सही है हमारे ही हस्ताक्षर पुस्ट हैं। मो0 अयूब को बिजली का करेण्ट लग गया था, जिसके इलाज के लिए मुम्बई गये थे, करीब डेढ साल पहले मो0 अयूब का इन्तकाल हुआ है।

(5) सतर्कता प्रकोष्ठ की गोपनीय पूछताछ एवं जांच पडताल में पाया गया कि श्रीमती नफीसा खातून पत्नी श्री अब्दुल मतीन ग्राम-बरगदवा टप्पाकोट तहसील, इटवा, जिला-सिद्वार्थनगर वास्तव में स्व0 हदीसुल्लाह निवासी ग्राम फरेंदा तहसील, इटवा जिलासिद्वार्थ नगर की पुत्री है तथा उच्च जाति की सामान्य मुसलमान है। ग्राम प्रधानी का पद सुरक्षित रखने हेतु अपने को नेपाल राष्ट्र निवासी फत्ते मोहम्मद गद्दी की पुत्री होने के फर्जी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। यदि एक बारगी इस तथ्य को मान भी लिया जाये कि नफीसा खातून, फत्ते मोहम्मद गद्दी की पुत्री हैं तब भी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र भारत में प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अन्य राष्ट्र की पिछड़ी जाति को उत्तर प्रदेश (भारत) में अन्य पिछड़ी जाति का नहीं माना जा सकता।

6- अतएव राज्य स्तरीय स्कुरटनी कमेटी ने प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के अनुशीलन में यह पाया कि अपीलार्थी श्रीमती नफीसा खातून पुत्री श्री फत्तेमोहम्मद निवासी ग्राम पकडी प्रसिया पंचायत जहदी जिला-कपिलवस्तु (तौलिहवा) नेपाल देश की मूल निवासिनी (पैतृक स्थान) है। इनकी शादी श्री अब्दुल मतीन निवासी सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) से होने पर स्थानीय पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के उददेश्य से तहसील कर्मियों की मिलीभगत से गलत तरीके से 'गद्दी' पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र संख्या-5441033700 दिनांक 25.09.2010 प्राप्त किया गया। विवेचन में यह पाया गया कि नफीसा खातून की जाति प्रमाण पत्र में कहीं भी उनके पिता का नाम, जाति अथवा पैतृक निवास स्थान का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेख नही है। बल्कि उनके द्वारा अपने पति श्री अब्दुल मतीन (जिनके गद्दी जाति का होने के सम्बन्ध में पूर्व से विवाद चल रहा है) के शपथ पत्र के आधार पर ससुराल के पते पर गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। जबकि यह सर्वविदित है कि किसी व्यक्ति/महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होता है। कालान्तर में जांच में यह पाया गया कि उनके पति श्री अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद के खानदान के मुख्तार अहमद पुत्र मोहम्मद इन्द्रिस निवासी ग्राम बरगदवा व नसीर अहमद पुत्र श्री निसार अहमद द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर के पिता यार मोहम्मद निवासी बरगदवा टप्पाकोट, तहसील इटवा, सिद्धार्थनगर उन्हीं के खानदान के है तथा ये लोग सवर्ण जाति के मुसलमान है। जांच में यह भी पुष्टि हुयी कि श्री अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों मे यार मोहम्मद अंकित है एवं यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारम है। नकल खतौनी 1323-1324 फसली ग्राम रमवापुर ऊर्फ बिशुनपुर टप्पाकरही परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला-बस्ती के खाता संख्या-17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन की कौम/जाति मुसलमान साकिनदेह अंकित है। रहमत पुत्र मदारन (अब्दुल मतीन के बाबा रहमत) मूल रूप से रमवापुर ऊर्फ बिशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पा कोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यारमोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यार मोहम्मद अंकित है, तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा, न्याय पंचायत भिलोरी-भिलोरा क्षेत्र पंचायत-खुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चैधरी अंकित कर दिया गया। साथ ही परिवार रजिस्टर में 'गद्दी जाति' का उल्लेख करवाकर, तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चैधरी निवासी ग्राम बरगदवा के नाम 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। श्रीमती नफीसा खातून द्वारा इसी तथ्य को आधार बनाते हुये अपने को भी अन्य पिछड़ा वर्ग की 'गद्दी' जाति का सदस्य बताकर जाति प्रमाण पत्र संख्या-5441033700 दिनांक 25.09.2010 प्राप्त किया गया। जबकि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमती नफीसा खातून एवं उनके पति श्री अब्दुल मतीन 'गद्दी' पिछड़ी जाति के सदस्य नही है बल्कि वह उच्च वर्ग के सामान्य मुसलमान है।

अतएव राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी उक्त विवेचन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी श्रीमती नफीसा खातून पत्नी श्री अब्दुल मतीन पुत्र निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पाकोट, तहसील, इटवा जिला-सिद्वार्थनगर अन्य पिछड़ा वर्ग 'गद्दी' जाति के सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं है बल्कि वह उच्च वर्ग के सामान्य मुसलमान है। तदनुसार अपीलार्थिनी श्रीमती नफीसा खातून की अपील दिनांक-17.07.2013 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

एम0पी0 सिंह उपनिदेशक, प्रतिनिधि निदेशालय पिछडा वर्ग पिछडा वर्ग कल्याण उ0प्र0लखनऊ	केदारनाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी उ0प्र0शासन

<u>पृ0संख्या-63/2015 (1)/26-3-2015 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. श्रीमती नफीसा खातून पत्नी श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 चैधरी (यार मोहम्मद) निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पाकोट, तहसील, इटवा जिला-सिद्वार्थनगर।
7. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।